राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010पार्ट–I/00544 जयपुर, दिनांक 31 JUL 2019

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2018 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों पर कार्यरत प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पदों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 28.02.2019 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

साथ ही इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2018 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद के अधीन निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सृजित पदों में से कार्यरत प्रतिनियुक्ति/संविदा पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2019 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत प्रतिनियुक्ति के 8911 पदों तथा संविदा के कार्यरत 7206 पदों की समयावधि वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 29.02.2020 तक बढाये जाने की सहमति निम्न शर्तों पर की जाती है –

1. विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
2. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. संविदा की नियुक्ति/Deployment जॉब बेसिस पर आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में सुनिश्चित किया जावे।

Scanned by CamScanner

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101903243 दिनांक 18.07.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 28.02.2019 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि दिनांक 29.02.2020 तक बढाई जाने की कार्यवाही की जावे।

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री ग्रावि एवं परावि, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, (प्रशासन) ग्रामीण विकास (अनुभाग–1) विभाग, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
9. अति.आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
10. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
11. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
13. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

B:\s.k\office order.docx
494

Scanned by CamScanner